

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. फातमा बाई पत्नी अलाबेली मन्सुरी उम्र 60 वर्ष निवासी गाडरमाला, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. किशनलाल पुत्र सोहनलाल सुनार, उम्र वयस्क निवासी गाडरमाला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा हाल निवासी लक्ष्य कोंचिंग क्लासेज के पास वाली गली, मातेश्वरी कॉलोनी मालोला रोड़ भीलवाड़ा
2. सुखलाल सोनी पुत्र कल्याणमल सोनी निवासी गाडरमाला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 591/2013 राजस्व वाद

वादीया एवं वादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार कचौलिया अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 19.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादीया एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा